न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 69/2023 बउनवानी भाग्य सिंह मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

GCMS No-2023/138

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे ,उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

दिनांक 3.7.2023 को प्रेषित रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र की गयी कार्यवाही के संबंध मे निम्न बिन्दुओ की सूचना चाही गयी।

1. राजकीय महात्मागांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के आगे एक वर्ष से अधिक समय से ईट, पत्थर, रोडी, कचरा आदि डालकर पडौसियो द्वारा विद्यालय का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है इस विषय मे की गयी कार्यवाही के बारे मे सत्यापित सूचना दी जावे।
2. विद्यालय का रास्ता बन्द करने वाले व्यक्ति ओमप्रकाश मीना पुत्र चिरंजी मीना नटवाडा पटटी पीलोदा तहसील वजीरपुर है इसके खिलाफ किस प्रकार नोटिस, आदि कार्यवाही की गयी है।
3. श्रीमान आपके द्वारा विद्यालय के रास्ते को अवरूद्व करने वाले इन लोगो के खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की गयी इसकी सत्यापित जानकारी देवे।
4. विद्यालय के रास्ते मे अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ जर्माना या एफ.आई.आर. दर्ज की कार्यवाही बनती है। इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट की गयी है या नही इसकी सूचना दी जावे।
5. इस कार्यवाही मे किन किन सरकारी कार्मिको को निर्देशित किया गया है। सूचना देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/ एफ. 13(2)(52)/सूकाअ/2023/2864 दिनांक 01.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2023 मे चाही गयी सूचना का संबंध में पत्रांक 2435 दिनांक 27.07.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2023 को प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग के पत्रांक 6984 दिनांक 7.7.2023 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को भिजवाया जा चुका है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आगे क्या कार्यवाही की गयी है इसकी सूचना जिला परिषद कार्यालय स0मा0 से ही प्राप्त की जा सकती है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.07.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 5 में चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2023 पर की गयी कार्यवाही) के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2435 दिनांक 27.7.2023 प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्र0अ0 विकास अनुभाग के पत्रांक 6984 दिनांक 7.7.2023 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। इस प्रकार इस कार्यालय स्तर [illegible] सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है। आगे की कार्यवाही की सूचना के लिए अपीला[illegible] व दिया जाता है कि शेष सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परि[illegible] निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible]मार होकर नम्बर [illegible]कम हो एवं बाद तकमील [illegible]खिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner